

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में स्वतन्त्रता से पूर्व विभिन्न शिक्षा-नीतियों का विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रियंका गुप्ता

शोधार्थी

जे0 जे0 टी0 विश्वविद्यालय,

राजस्थान

सार

मानव विकास का मूल साधन शिक्षा ही है अतः किसी भी राष्ट्र को नई दिशा दिखाने तथा समाज का उत्थान करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतवर्ष में शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट वर्गों में बाँटा गया है। इन सभी वर्गों में प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा की नींव कहा गया है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने अर्थात् जन शिक्षा में परिवर्तित करने के लिए ही यह प्रावधान रखा गया है।

आधुनिक शिक्षा को भी दो उपकालों में विभक्त किया गया है—ब्रिटिशकालीन शिक्षा एवं स्वतन्त्र भारत में शिक्षा। ब्रिटिश शिक्षावादियों ने भारतीयों की शिक्षा को मातृ साक्षरता अर्थात् 3 R (Reading, Writing, Arithmetic) तक सीमित रखा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर आसीन हों। स्पष्ट है कि इसमें 3 H-Heart, Hand, Head (हृदय, हाथ व मस्तिष्क) की शिक्षा पर जोर दिया गया। यह शिक्षा के तीनों प्रकार के उद्देश्यों ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक की प्राप्ति में सहायक है। 1944 में सर सार्जेण्ट ने शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया यह 40 वर्षीय योजना थी ब्रिटिश शासन में सारे देश में प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ।

प्रस्तावना

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में ब्रिटिश राज्य पूर्णतः अपनी जड़े जमा चुका था। इस समय ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित शिक्षा-नीतियाँ अधिक प्रचलित थी। इनके साथ-साथ भारतीय विद्वानों ने भी विभिन्न शिक्षा-नीतियाँ प्रस्तुत की थी। 11 मार्च सन् 1904 ई0 को लार्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा-नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया गया। इसके पश्चात् 'गोपाल कृष्ण गोखले' ने सन् 1910 ई0 में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में गोखले विधेयक प्रस्तुत किया था। सन् 1929 ई0 में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित हर्टाग समिति भी गठित की गई थी।

सन् 1937 ई0 में महात्मा गाँधी ने वर्धा शिक्षा-सम्मेलन में बेसिक शिक्षा योजना (बुनियादी तालीम) प्रस्तुत की थी। इसको नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। डॉ0 जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा में प्रस्तावित शिक्षा योजना को अन्तिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे 'जाकिर हुसैन समिति' कहा जाता है। "इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की थी। प्रथम रिपोर्ट दिसम्बर सन् 1937 ई0 तथा दूसरी रिपोर्ट अप्रैल, सन् 1938 ई0 में प्रस्तुत की थी।"

इसके पश्चात् बम्बई प्रान्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बी0जी0 खैर की अध्यक्षता में खैर समिति सन् 1938 ई0 का गठन किया गया जिसमें बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में काफी सुझाव दिये। बेसिक शिक्षा को प्रान्तीय सन्दर्भ में देखने समझने और उसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे आचार्य नरेन्द्रदेव समिति सन् 1939 ई0 के नाम से जाना जाता है। भारत में शिक्षा के विकास हेतु बोर्ड ने "केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट" तैयार की गयी। इस 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' के अध्यक्ष सर जॉन

सार्जेन्ट थे। यह योजना उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार की गई थी तथा उन्हीं के नाम पर इसे 'सार्जेन्ट योजना' सन् 1944 ई0 कहते हैं।

लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति: (1904) :

“लार्ड कर्जन ने 'शिमला शिक्षा-सम्मेलन, सन् 1901 ई0 में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक शिक्षा-नीति तैयार की और 11 मार्च, सन् 1904 ई0 को उसे एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। शिक्षा-नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव में सर्वप्रथम तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया गया और उसके बाद उसमें सुधार हेतु नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई।”

शिक्षा नीति, सन् 1904 ई0 सम्बन्धी सुझावों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा सुझाव :

- ❖ प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए। इसमें भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिया जाए, अँग्रेजी को इससे हटा दिया जाए, शारीरिक व्यायाम अनिवार्य किया जाए और कुछ उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए।
- ❖ “प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया है और उसके प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अतः उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है।”
- ❖ स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा-कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करें। प्रान्तीय सरकारें इन्हे आवश्यकतानुसार अनुदान दें। यह अनुदान परीक्षाफल पर आधारित न होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए और प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वहन करें।

माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी नीति तथा सुझाव :

- ❖ जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनको गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालयों की भूमिका अदा करनी चाहिये।
- ❖ सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिये।
- ❖ माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर किए जाने चाहिये।
- ❖ “गैरसरकारी (अनुदान प्राप्त अथवा अप्राप्त) सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता लेना आवश्यक होगा।”

उच्च शिक्षा-सम्बन्धी नीति अथवा सुझाव :

उच्च शिक्षा में बाह्य परीक्षाओं का महत्व कम करके महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिये तथा उच्च शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए आवश्यक धनराशि बढ़ाई जानी चाहिये।

लार्ड कर्जन के अन्य शैक्षिक-कार्य :

लार्ड कर्जन ने अनेक शैक्षिक कार्य किए उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की लार्ड कर्जन ने जीविकोपार्जन सम्बन्धी पाठ्यक्रम शुरू कराए तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी कलाओं और शिल्पों के शिक्षण की व्यवस्था कराई। लार्ड कर्जन ने 'पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904' पारित किया जिसके अनुसार भारत सरकार में 'पुरातत्व-विभाग' की स्थापना हुई। लार्ड कर्जन ने भारत में कृषि शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को भी समझा। लार्ड कर्जन ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा दी जाये तथा उन्होंने नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया।

लार्ड कर्जन की शिक्षा-नीति का विश्लेषण एवं व्याख्या :

लार्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा के लिए जो मुख्य देन है वह इस प्रकार हैं

लार्ड कर्जन ने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की जिससे शिक्षा की नीति लागू करना और शिक्षा की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से हुई।

- Page 99

इस विधेयक पर दो दिन तक बड़ी गर्मागर्म बहस हुई । गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने बिल के पक्ष में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए । सरकारी प्रवक्ता हर्टाग-बटलर (Hertog-Butlar) ने इस विधेयक का विरोध किया । उन्होंने अपने पक्ष में 5 तर्क प्रस्तुत किए :

- ❖ यह विधेयक समय से पहले रखा गया है, इस समय प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में बहुत कठिनाइयाँ हैं ।
- ❖ प्रान्तीय सरकारें अभी इनके पक्ष में नहीं हैं ।
- ❖ स्थानीय निकायों ने भी इस सन्दर्भ में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।
- ❖ सामान्य भारतीय जनता इसके लिए कोई मांग नहीं कर रही है ।
- ❖ शिक्षित भारतीय भी इसकी अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है । गोखले ने हर्टाग बटलर के इन सभी तर्कों को व्यर्थ बताया । उन्होंने सभा के सामने बड़ौदा राज्य और पश्चिमी देशों के उदाहरण प्रस्तुत किया । पं० मदन मोहन मालवीय और मौहम्मद अली जिन्ना भी उस समय इस केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य थे । उन्होंने गोखले द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन किया, परन्तु भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों ने सरकार के पक्ष में मत दिया और यह विधेयक 13 मतों के विरुद्ध 38 मतों से गिर गया ।

शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव (नीति) , 1913 :

यद्यपि गोखले द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक केन्द्रीय धारा सभा में पास नहीं हो सका, परन्तु उनके द्वारा अपने विधेयक के पक्ष में दिए गए तर्कों में ब्रिटिश सरकार में खलबली मच गई । वे सोचने लगे कि अब भारतीयों को उनके शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों से बहुत दिनों तक वंचित नहीं रखा जा सकता । तभी 20 दिसम्बर, सन 1911 ई० को ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम भारत के दौरे पर आये । उन्होंने यहाँ की नब्ज को समझा और अधिकारियों को भारतीय शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया । परिणामस्वरूप सरकार ने 1913, में शिक्षा के सम्बन्ध में नया प्रस्ताव पारित किया जिसे शिक्षा-नीति, सन 1913 ई० माना गया है ।

गोपाल कृष्ण गोखले ने केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पेश किया था । यह विधेयक केन्द्रीय धारा सभा में पास नहीं हो पाया था, परन्तु गोखले के अकाट्य तर्कों ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए विवश अवश्य कर दिया था । तभी 20 दिसम्बर सन 1911 ई० को ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम भारत पधारे । “दिल्ली दरबार में जार्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए 50 लाख रुपये देने की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की ।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण घोषणा सम्राट ने 6 फरवरी, सन 1912 ई० को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में की । उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा, कि मेरी इच्छा है कि सम्पूर्ण देश में स्कूल और कालिजों का जाल बिछा दिया जाये, जिनमें से विश्वासपात्र, निर्भीक और कुशल नागरिक निकले जो अपने उद्योगों, कृषि और अन्य व्यवसायों को सुचारु रूप से चला सकें ।

सम्राट की यह इच्छा ब्रिटिश अधिकारियों के लिए आदेश से कम नहीं थी । परिणामतः भारत सरकार ने 21 जनवरी सन् 1913 ई० को शिक्षा सम्बन्धी नया प्रस्ताव प्रकाशित किया । इस प्रस्ताव को ही शिक्षा नीति, 1913 कहते हैं ।

शिक्षा नीति, 1913 के आधारभूत-सिद्धान्त :

शिक्षा सम्बन्धी इस प्रस्ताव में तीन आधारभूत सिद्धान्तों की घोषणा की गई जो निम्नलिखित हैं —

- ❖ प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों का समावेश करना ।
- ❖ शोध-कार्य और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना ।
- ❖ शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनके स्तर को ऊँचा उठाने पर अधिक ध्यान देना ।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी निर्णय अथवा सुझाव :

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार ने स्वीकार किया कि इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और सबसे अधिक व्यय किया जाना चाहिए । प्रस्ताव में आगे स्पष्ट किया गया है कि कुछ प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है । परन्तु वह गैर सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहन देकर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न करेगी । इसमें सरकार ने यह संकेत दिया कि अभी प्राथमिक शिक्षा के

स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी निर्णय अथवा सुझाव

सरकार ने स्वीकार किया कि उस समय स्त्री शिक्षा न के बराबर थी। स्त्री शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया।

शिक्षा-प्रस्ताव नीति, 1913 का विश्लेषण एवं व्याख्या :

गोखले ने शिक्षा :

गोखले ने अपने प्रस्ताव 1913 के सुझावों को नये रूप में प्रस्तुत किया। गोखले द्वारा प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं वेतन निश्चित किये गये तथा प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में छात्रों की संख्या निश्चित की गई। शिक्षा प्रस्ताव 1913, के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और वेतन निश्चित किये गये। उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना केवल शिक्षण-कार्य हेतु किये गये।

गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार किये, परन्तु वह पूर्णरूप से सफल नहीं हो सके। इस प्रस्ताव में गोखले ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा तथा अंग्रेजी शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की अपेक्षा अधिक वेतन देने का प्रावधान रखा जिसमें वह अपनी इस योजना में सफल नहीं हो सके क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ भी उस समय की दृष्टि से अनुकूल नहीं थी। इसलिए शिक्षा नीति 1913 का प्रभाव पूर्णरूप से सफल नहीं हो पाया, अर्थात् इस शिक्षा नीति में कुछ भी प्रगति नहीं हो सकी।

बेसिक शिक्षा का विश्लेषण एवं व्याख्या

"Basic Education links the children whether of the cities or villages, to all that is best and listing in India."

बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान शिक्षा है, यह प्रायः अनुभवों पर आधारित है। बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर मानसिक अनुभवों के साथ-साथ अन्य प्रकार के अनुभवों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। बुनियादी शिक्षा बालक प्रधान शिक्षा मानी गयी है तथा बाल-केन्द्रित शिक्षा जो कि बालक क्रियाओं द्वारा सीखता है, मुख्य रही है। बुनियादी शिक्षा से विद्यालयों में बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचने से कुछ व्यय निकल आता है तथा बालक किसी हस्तशिल्प को सीखकर अपने भावी जीवन के लिए धन अर्जित कर सकेगा तथा उसमें सेवा स्नेह, सहयोग, सहिष्णुता, आत्मसंयम स्तर के अनुकूल शिक्षा को रखा गया है। जिससे बालक शारीरिक श्रम द्वारा किसी भी उत्पादक कार्य को पूरा कर सकेगा।

बुनियादी शिक्षा में 'समवायी शिक्षण-विधि' का प्रयोग किया गया है। बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी द्वारा शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है और अनेक विषयों के ज्ञान का प्रारम्भ ही मूल उद्योगों से जोड़ा गया है तथा इस ज्ञान को बालक की क्रियाओं से ही सम्बन्धित किया गया है जिसको 'समवायी' कहा गया है। बुनियादी शिक्षा में ज्ञान अभिन्न, अखण्ड समष्टि है और उसका अनेक असम्बद्ध और अनेक बार, परस्पर अभिवर्जित विषयों में विभाजन निषेध बताया गया है। आधारभूत शिल्प (Basic Craft) द्वारा प्रदान की गई शिक्षा बालक के वास्तविक जीवन से सम्बन्धित की गई है। वर्धा योजना को भारत की निरक्षरता की महान समस्या का समाधान करने के लिए अब तक किये जाने वाले प्रयासों में साहसी और सम्पूर्ण माना गया है।

बेसिक शिक्षा में अनेक विशेषताएँ होने के बावजूद भी बुनियादी शिक्षा को पूर्ण रूप से उचित और सर्वव्यापक शिक्षा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि "योजना में भावों की आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिया गया है। नगरीय आवश्यकताओं तथा बालिकाओं की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।" बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प को अधिक महत्त्व दिया गया है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास कदापि सम्भव नहीं है क्योंकि बालक सामान्य शिक्षा से प्रायः वंचित रह जाता है। आज मशीनों का युग है, हस्तशिल्पी का नहीं, जैसे-तकली द्वारा कताई, धुनाई और बुनाई आदि में बालक का समय भी नष्ट होता है। उनको हर विषयों का महंगा ज्ञान अनुचित है। इससे बालक स्वावलम्बी नहीं बन सकेगा क्योंकि उसने अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों को विकसित होने से पूर्व उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त किये बिना हस्तशिल्प से जोड़ दिया है।

बुनियादी शिक्षा प्रायः कल्पनाओं पर ही आधारित है जिसका जनता और शिक्षकों के द्वारा घोर विरोध किया गया क्योंकि बालक के मानसिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण बराबर नहीं है। क्योंकि बुनियादी शिक्षा में उत्पादन के सिद्धान्त को विशेषकर अपनाया गया है। बुनियादी विद्यालय साधारण विद्यालयों से अधिक महंगे होने के कारण बुनियादी शिक्षा का शीघ्रता से प्रचार नहीं कर सके क्योंकि बुनियादी शिक्षा शिक्षा दर्शन की अपेक्षा भावनाओं पर टिकी है, इसलिए इसकी अधिक प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है।

संदर्भित ग्रन्थ-सूची

1. अग्निहोत्री रविन्द्र – भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्या ; दिल्ली रिसर्च पब्लिकेशन।
2. अग्रवाल, वाई0पी0 – रिसर्च इन इमर्जिंग फील्ड्स आफ एजुकेशन, नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशर्स।
3. अग्रवाल जे0सी0 – लैंडमार्क्स इन दॉ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इन्डियन एजुकेशन, नई दिल्ली, वाणी बुक्स।
4. अदावल, एस0बी0 तथा एम0 – भारतीय शिक्षा की समस्यायें तथा प्रवृत्तियाँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिन्दी उनियाल
5. ओड, एल0के0 – शिक्षा के नूतन आयाम; जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
6. कुन्दू, सी0एल0 – इन्डियन ईयर बुक ऑन टीचर एजुकेशन; नई दिल्ली : स्टर्लिंग पब्लिशर्स।
7. कबीर, हुमायूँ – स्वतन्त्र भारत में शिक्षा; दिल्ली : राजपाल एन्ड संस
8. चौबे, सरयू प्रसाद – भारत में शिक्षा का विकास; इलाहाबाद; सेण्ट्रल बुक डिपो।